

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 670

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के क्रियान्वयन में त्रुटियां

670. डा० के०वी०पी० रामचन्द्र राव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के क्रियान्वयन में कुछ त्रुटियों/विसंगतियों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तेलंगाना या आन्ध्र प्रदेश में किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न होने देने के लिए उक्त अधिनियम में व्यापक बदलाव लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावित बदलाव की मोटी रूपरेखा के बारे में बतलाएगी और इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): (घ): (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न हीं नहीं उठता।
